सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2024 / 178 दर्ज तिथिः–21.05.2024

1. अमराराम पुत्र भागचन्द
2. गोरखाराम पुत्र भागचन्द
3. तेजाराम पुत्र भागचन्द
4. बाबूलाल पुत्र भागचन्द
5. रामाराम पुत्र भागचन्द
6. वालीदेवी पत्नी भागचन्द

जाति विश्नोई निवासी धोलीनाडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...............प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर
2. हरींगाराम पुत्र भारमल

जाति विश्नोई निवासी धोलीनाडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 94 / 5 / 0.9470 मौजा धोलीनाडी तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 94/1.3678 है0 मौजा धोलीनाडी तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी है।
- प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 के उक्त खसरे मूल खसरा संख्या 94 से विभक्त होकर बने हैं जिनका संयुक्त खातेदारों की आपसी सहमति से तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेशांक/भू.अ./2019/2668 दिनांक 19.08.2019 द्वारा विभाजन का आदेश पारित किया गया था। उक्त विभाजन आदेश का नामांतरकरण के समय खसरा संख्या 94/5/0.9470 है0 प्रार्थीगण को एवं खसरा संख्या 94/1.3678 है0 अप्रार्थी संख्या 02 को आवंटित किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में माफिक विभाजन प्रस्ताव जमाबंदी में रकबे का इन्द्राज सही किया गया। परंतु विभक्त खसरों का राजस्व नक्शा में तरमीम विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नहीं की गई। जिससे मौके व वर्तमान राजस्व नक्शा में भिन्नता आ गई।
- प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर मौके पर काबिज काश्त हैं तथा मौके पर रहवासी ढाणियां, चारवाडे व टांके बने हुए हैं। उक्त सभी खसरा मूल खसरा संख्या 94 से बने हुए हैं परन्तु वर्तमान तरमीम व मौके पर भिन्नता है। जिससे प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी व अन्य आलामात अप्रार्थी संख्या 01 के लिये प्रस्तावित भूमि में आ गये हैं।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–बी के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 94/5 एवं अप्रार्थी संख्या 02 के खसरा संख्या 94 का माफिक विभाजन प्रस्ताव एवं वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–ब प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–ब का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

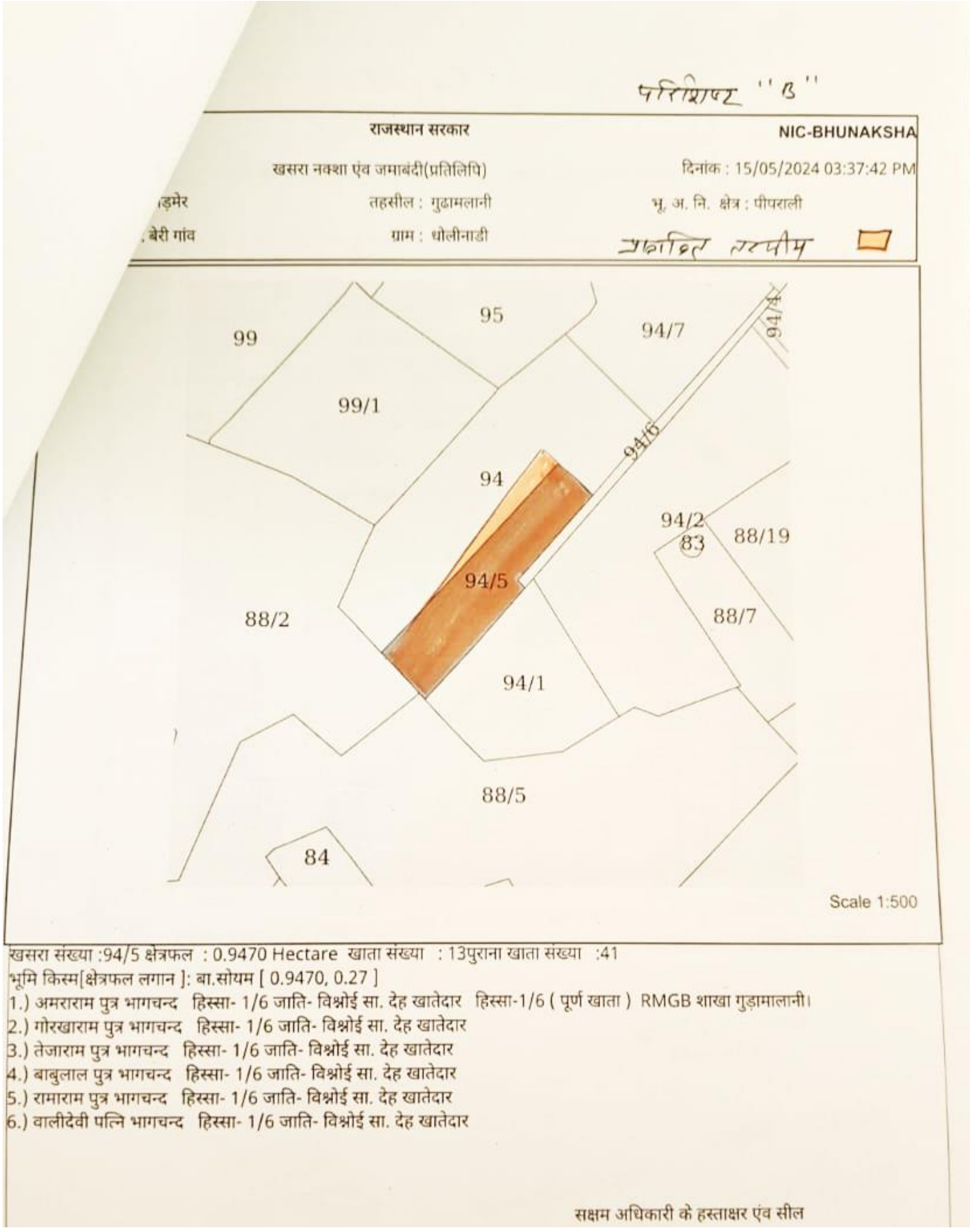

परिशिष्ट "B"

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 15/05/2024 03:37:42 PM

ड़मेर तहसील : गुढामलानी भू. अ. नि. क्षेत्र : पीपराली

, बेरी गांव ग्राम : धोलीनाडी प्रस्तावित तरमीम

खसरा संख्या :94/5 क्षेत्रफल : 0.9470 Hectare खाता संख्या : 13पुराना खाता संख्या :41
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [0.9470, 0.27]
1.) अमराराम पुत्र भागचन्द हिस्सा- 1/6 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) RMGB शाखा गुड़ामालानी।
2.) गोरखाराम पुत्र भागचन्द हिस्सा- 1/6 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
3.) तेजाराम पुत्र भागचन्द हिस्सा- 1/6 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
4.) बाबुलाल पुत्र भागचन्द हिस्सा- 1/6 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
5.) रामाराम पुत्र भागचन्द हिस्सा- 1/6 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
6.) वालीदेवी पत्नि भागचन्द हिस्सा- 1/6 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—ब के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ./2024/2116 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2116 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

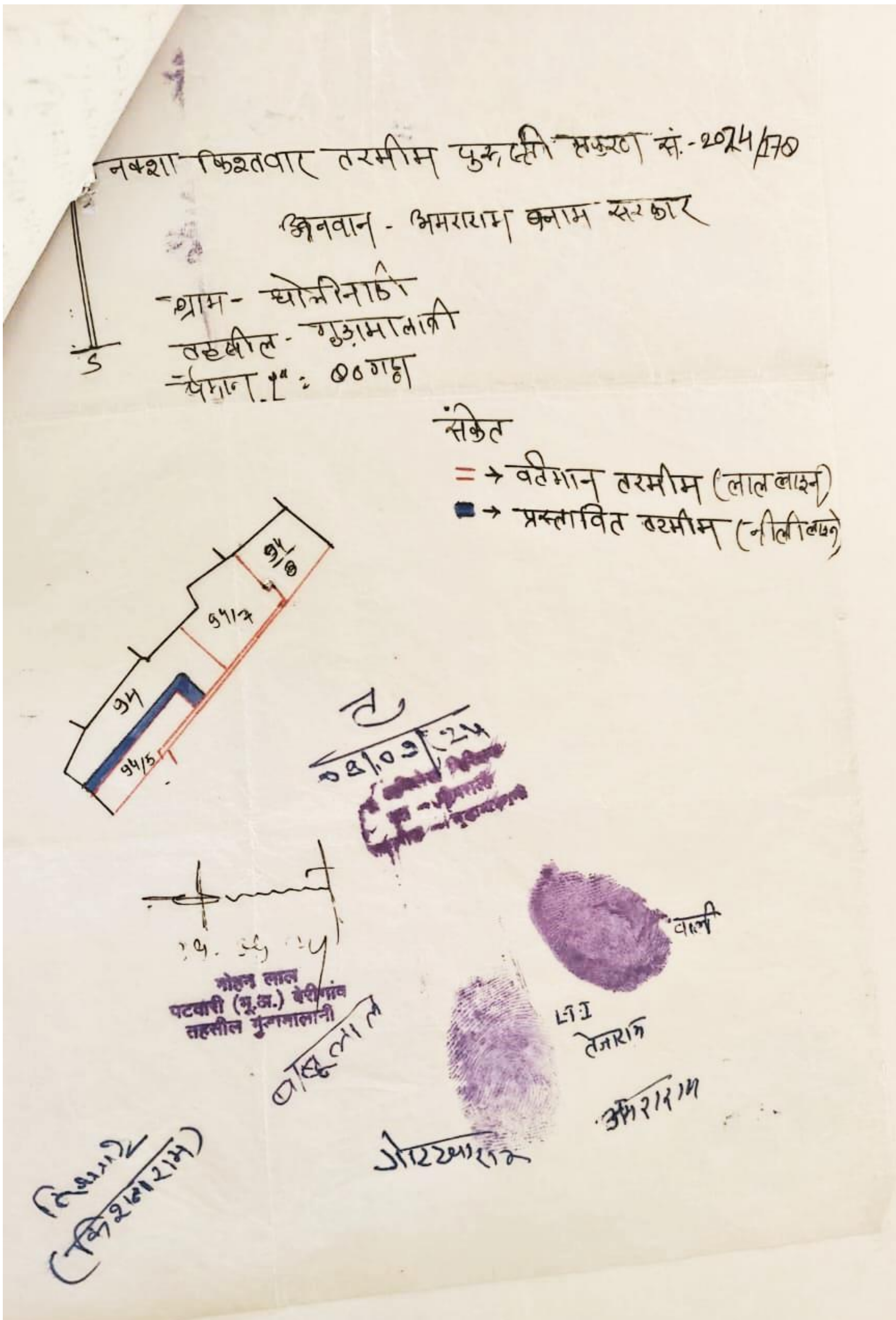

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2116 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 94 का रकबा 1.3678 है0 दर्ज है। जबकि नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा संख्या 94 का रकबा 1.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

6915 है0 बनता है। जो जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0.3237 है0 ज्यादा है।

2. वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 94/5 का रकबा 0.9470 है0 दर्ज है। जबकि नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा संख्या 94/5 का रकबा 0.6233 है0 बनता है। जो जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0. 3237 है0 कम है।
3. कि वर्तमान नक्शा लट्ठा ट्रेस में रकबा बरारी से रकबे में खसरा संख्या 94 में 0.3237 है0 रकबा ज्यादा होने व खसरा संख्या 94/5 में रकबा 0.3237 है0 कम होने से वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम संलग्न नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2116 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2116 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2116 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/2116 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested